उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-22/2022/357प्र0स0/92-2-22-19जॉच/2016
लखनऊ :: दिनांक:: 24 अगस्त 2022

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा ग्राम पंचायत लतीफनगर, विकास खण्ड-सरोजनीनगर, जनपद-लखनऊ में निर्मित करायी गयी सी0सी0 रोड की मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की जॉच आख्या दिनांक 21.09.2016 के अनुसार पी0सी0सी0 1:2:4 लीन कंक्रीट 1:6:12 ब्रिक वर्क 1:4 तथा प्लास्टर 1:4 के कार्य मौके पर किये गये निरीक्षण तथा विभागाध्यक्ष सिविल इंजीनियरिंग विभाग, के0एन0आई0टी0, सुलतानपुर से प्राप्त रसायनिक परीक्षण में विभागीय मानक के अनुसार निर्माण कार्य कराया जाना नहीं पाया गया। लीन कंक्रीट 1:6:12 का कार्य निर्मित मार्गो में कमजोर पाये जाने के फलस्वरूप परिलक्षित शासकीय क्षति में रू0 4,651.00 के लिये तथा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन के समय उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों/शासनादेशों/वित्तीय नियमों के अनुरूप गुणवत्तापूर्वक कार्य सम्पादित न कराये जाने हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1799/92-2-16-19जांच/2016 दिनांक 02.01.2017 द्वारा श्री रियाज अहमद सिददीकी, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-लखनऊ के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-10(2) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए उनका स्पष्टीकरण मॉगा गया, जिसका बचाव उत्तर श्री रियाज अहमद सिददीकी के पत्र दिनांक 03.02.2017 द्वारा शासन में प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-175/2018/3083/92-2-18-19जांच/2016 दिनांक 06.12.2018 द्वारा उन्हें परिनिन्दा का दण्ड देते हुए प्रकरण को समाप्त कर दिया गया।

2- शासन द्वारा निर्गत दण्डादेश दिनांक 06.12.2018 के विरूद्ध श्री रियाज अहमद सिददीकी, तत्कालीन अधिशासी अभियंता द्वारा अपने अभ्यावेदन दिनांक 25.01.2019 शासन में उपलब्ध कराया गया। उक्त अभ्यावेदन में श्री सिददीकी द्वारा पूर्व में दिये गये अपने बचाव उत्तर दिनांक 03.02.2017 के अतिरिक्त यह भी उल्लिखित किया गया कि प्रकरण में अन्तर्गत श्री अबरार अहमद, तत्का0 सहायक अभियंता सम्प्रति अवर अभियंता व श्री अभय नारायण सिंह, तत्का0 अवर अभियंता, जो कि प्रश्नगत कार्य कराये जाने हेतु क्षेत्रीय स्तर पर उत्तरदायी है, के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एव अपील) नियमावली, 1999 के नियम-10(2) के अन्तर्गत मॉगे गये स्पष्टीकरण के प्रकरण को निदेशक एवं मुख्य अभियंता के कार्यालय आदेश दिनांक 24.05.2017 द्वारा उक्त अवर अभियंताओं को भविष्य में कार्यो के प्रति और अधिक सजग रहकर कार्य करने के निर्देश के साथ समाप्त कर दी गयी है। अतएव मुख्य रूप से कार्य कराने वाले अवर अभियंता को भविष्य के लिये सचेत किये जाने तथा मात्र पर्यवेक्षणीय उत्तरदायित्व हेतु अधिशासी अभियंता को परिनिन्दित किये जाने को न्याय की दृष्टि से उचित न बताते हुये उनके विरूद्ध निर्गत दण्डादेश को विलोपित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अपचारी अधिकारी से मॉगा गया स्पष्टीकरण, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर, अपचारी अधिकारी के प्रत्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि प्रकरण में परिलक्षित शासकीय क्षति, जो शासनादेश दिनांक 14.07.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार सहिष्णुता सीमा (02 प्रतिशत) से कम है, को संबंधित ठेकेदार द्वारा राजकोष में जमा कर दिये जाने के फलस्वरूप श्री रियाज अहमद सिददीकी, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-लखनऊ के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-175/2018/ 3083/92-2-18-19जॉच/2016 दिनांक 06.12.2018 द्वारा दिये गये परिनिन्दा दण्ड को कठोर चेतावनी में परिवर्तित किया गया।

4- शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 06.12.2019 द्वारा निर्गत दण्डादेश के विरूद्ध अपचारी अधिकारी, श्री रियाज अहमद सिददीकी, तत्का0 अधिशासी अभियंता के पत्र संख्या-437/ग्रा0अ0वि0/ स्था0/ व्य0प0/2022-23 दिनांक 30.06.2022 द्वारा अपना पुनर्विचार प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जो कि निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-696/ ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/समूह-क/व्य0प0/प0सं0-125/22-23 दिनांक 15.07.2022 के माध्यम से शासन में प्राप्त हुआ है।

5- अपचारी अधिकारी, श्री रियाज अहमद सिददीकी, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-लखनऊ द्वारा प्रस्तुत पुनर्विचार प्रत्यावेदन दिनांक 30.06.2022 के सम्यक परीक्षणोपरान्त पाया गया कि मात्र दृष्टि परीक्षण के आधार पर गलियों में लीन कंक्रीट 1:6:12 शक्ति में कमजोर पाये जाने के फलस्वरूप शासकीय क्षति परिलक्षित बतायी गयी है। चूंकि कार्यस्थल पर कार्य कराते समय वर्कमैनशिप पर ध्यान देने का मुख्य दायित्व ठेकेदार एवं अवर अभियंता का होता है उक्त अवर अभियंताओं के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-10(2) के विरूद्ध निर्गत स्पष्टीकरण को निदेशालय के आदेश दिनांक 24.05.2017 द्वारा भविष्य में कार्यो के प्रति अधिक सजग रहकर कार्य करने के निर्देश के साथ समाप्त किया जा चुका है तथा प्रकरण में परिलक्षित शासकीय क्षति अत्यन्त न्यून (0.155 प्रतिशत) जो कि 02 प्रतिशत की सहिष्णुता सीमा के अंतर्गत होने एवं संबंधित ठेकेदार को राजकोष में जमा करा दी गयी है। अत: उक्त के दृष्टिगत श्री रियाज अहमद सिददीकी, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-लखनऊ सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, परिमण्डल-बस्ती के विरूद्ध शासन के पत्र संख्या-190/2019/2757/92-2-2019-19जॉच/2016 दिनांक 06-12-2019 द्वारा निर्गत कठोर चेतावनी के दण्ड को समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-22/2022/357प्र0स0(1)/92-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- श्री रियाज अहमद सिददीकी, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-लखनऊ सम्प्रति अधीक्षण अभियंता परिमण्डल-बस्ती द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।